बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 21/08/2023

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-13/2022 खण्ड 1653 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 85 दिनांक 11.01.2023 द्वारा अन्य समितियों के साथ **पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखंड अंतर्गत फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 328 दिनांक 10.02.2023 द्वारा स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था।

अत: **फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 85 दिनांक 11.01.2023 के क्रम में निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	मतदान	04.09.2023 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	04.09.2023 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(ii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	07.09.2023 (गुरूवार)

2. **उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 25.08.2023 तक इसका साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 07.09.2023 तक** लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से

संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 11.03.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पोसवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1653 पटना/ दिनांक 21/08/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1653 पटना/ दिनांक 21/08/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ अपर समाहर्त्ता, पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1653 पटना/ दिनांक 21/08/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1653 पटना/ दिनांक 21/08/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।